



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1657]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ज्येष्ठ 19, 1939

No. 1657]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/JYAISTHA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

का.आ. 1868(अ).—प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 250 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016, द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले के डोरावरीसत्रम मंडल के नेलापट्टू ग्राम के में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4.58 वर्ग किलोमीटर है तथा अक्षांश 13°51' से 13°59' उ. उत्तर और देशांतर 79°57' से 79°59' पूर्व के बीच स्थित है;

और, अभयारण्य व्यापक विविधता वाली पक्षी प्रजातियों के लिए प्रजनन और बसेरा दोनों प्रयोजनो हेतु एक स्वर्ग है और यह दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे बड़ा पेलीकन के वास स्थान में से एक है;

और, इस अभयारण्य में बहुत से शीत प्रवासी पक्षियां आते हैं और यह ग्रे पेलीकन (पेलेकनअस फिलीप्पेनसिस), ओपन बिल सारस (अनासटोमुस ओससकटिनस), छोटा जलकाग (मेक्रोक्राबो नीगर), स्पून बिल (पलाटालेइअ), सफेद

सारस के सदृश जलपक्षी (यूडोकिमीस अलबस), रागी बगुला(नयसिटिकोरक्स नयसिटोक्रोस), आदि कुछ इस तरह की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के लिए एक प्रजनन भूमि है;

और, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, सीमा से दो किलोमीटर के क्षेत्र को, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित करने के लिए संरक्षण आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य की सीमा 2 किलोमीटर के साथ से 29.21 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले के कुछ ग्राम भी शामिल है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची उपाबंध-II में दी गई है।

(3) इस अधिसूचना के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध-III के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के लिए, आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की जीविकोपार्जन सुरक्षा के लिए विनियमित करगी।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी।
- (9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य अधिनियमों और अन्य नियमों तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक

पारिस्थितिक पर्यटन सहित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि सुसंगत राज्य विधियों और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) परंतु यह और भी अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल निकाय -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) पर्यटन/ पारिस्थितिक-पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन या विद्यमान पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों का विस्ता महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक-पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पारिस्थितिक-पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा।

(घ) पारिस्थितिक-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

तथापि नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी में आगे तक नये होटल और रिसोर्ट का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए होटल, रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों का विनियमित अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन:** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या प्रकाशन के पश्चात, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रोत्त किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अधीन:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों पर संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में

विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	किसी भी नए या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	नए वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	तटीय जलीय कृषि।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई जलीय कृषि या ताजे पानी की जलप्रपात की अनुमति नहीं है।
9.	बड़े पैमाने पर व्यावसायिक क्रियाकलाप के रूप में गैर परंपरागत तरीके से ट्रालरों द्वारा मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

10.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन।	<p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।</p> <p>परंतु, जहाँ संरक्षित विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।</p>
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत भवन निर्माण संबंधी उपविधियों के अनुसार पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	<p>पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, पुष्पकृषि, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।</p>
13.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	<p>लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।</p>
14.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार</p>

		विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एन टी एफ पी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	लागू विधियों नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अधीन के विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	टोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभागी मानीटरी के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

- | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (i) | जिला कलक्टर, नेल्लौर | अध्यक्ष; |
| (ii) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - | सदस्य; |
| (iii) | पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (iv) | राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव/सदस्य | सदस्य; |
| (v) | क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य; |
| (vi) | राजस्व प्रभागीय अधिकारी, गुडूर का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (vii) | प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबन्ध प्रभाग, सुल्लौरपेट | सदस्य; |
| (viii) | उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), नेल्लौर | सदस्य- सचिव। |

6. निर्देश - निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित पार्क का उपवन्यजीव संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन उपबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/59/2014-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर - पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य सीमा के आसपास दो किलोमीटर पत्थर की रेलवे लाइन 101 किलोमीटर से आरंभ होकर जो स्टेशन सं. 1 है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 2 को छूती है। वहाँ से रेखा पूर्व दिशा की ओर जाती है और नेलाबल्ली आरक्षित वन के उत्तरी बिंदु पार करके और स्टेशन सं. 3 में मिलती है। वहाँ से रेखा पूर्व दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 4 में मिलती है। वहाँ से रेखा पूर्व दिशा की ओर जाती है और पूडूर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा से मिलती है जो स्टेशन सं. 5 है।

पूर्व - वहाँ से रेखा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है और पूडूर आरक्षित वन को पार करके और कल्लूर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा से मिलती है जो स्टेशन सं. 6 है। इसके बाद रेखा कल्लूर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा

के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 7 में मिलती है। इसके बाद रेखा कल्लूर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 8 में मिलती है। इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा को पार करके जाती है। कल्लूर आरक्षित वन और ब्लैकटॉप सड़क में मिलती है जो स्टेशन सं. 9 है। वहाँ से रेखा दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 10 को छूती है।

दक्षिण – वहाँ से रेखा पश्चिमी दिशा में 94.3 किलोमीटर में रेलवे लाइन को पार करके जाती है और स्टेशन सं. 11 में मिलती है। इसके बाद रेखा पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और एन.एच. 5 के निकट स्टेशन सं. 12 में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर पश्चिम दिशा में 91.7 किलोमीटर एन.एच. 5 को पार करके जाती है और कूपपारेडी पालेम ग्राम की सिंचाई टैंक में मिलती है जो स्टेशन सं. 13 है।

पश्चिम - वहाँ से रेखा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 14 में मिलती है। वहाँ से रेखा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और इकोल्लू आरक्षित वन में स्टेशन सं. 15 में मिलती है। इसके बाद रेखा उत्तर दिशा की ओर जाती है और रोसानूर संरक्षित वन में स्टेशन सं. 16 में मिलती है। वहाँ से रेखा उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है और पत्थर की रेलवे लाइन 101 किलोमीटर को पार करके और स्टेशन सं. 1 में मिलती है, जो आरंभिक स्टेशन है।


उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	शहर का नाम/ग्राम	जीपीएस निर्देशांक					
		अक्षांश			देशांतर		
		डिग्री	मिनट	सैंकेड	डिग्री	मिनट	सैंकेड
1.	नेल्लोरेपल्ली	13 ⁰	50'	0.001"	79 ⁰	57'	0.004"
2.	मूध्रालागूनटा	13 ⁰	50'	0.001"	79 ⁰	57'	0.001"
3.	मयलनगम	13 ⁰	49'	0.001"	79 ⁰	57'	0.01"
4.	नेलापट्टूर	13 ⁰	49'	0.001"	79 ⁰	57'	0.008"
5.	कृष्णापुरम	13 ⁰	47'	0.001"	79 ⁰	57'	0.001"
6.	कूपपारेडी पालेम	13 ⁰	47'	0.001"	79 ⁰	56'	0.001"
7.	इकोल्लू	13 ⁰	49'	0.001"	79 ⁰	56'	0.001"
8.	दोरावरीसतरम	13 ⁰	48'	0.001"	79 ⁰	56'	0.001"

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र



नेलापट्ट पक्षी अभयारण्य की अभयारण्य सीमा के भू- निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेड	डिग्री	मिनट	सैकेड
1.	79 ⁰	55'	39.2"	13 ⁰	50'	58.6"
2.	79 ⁰	56'	13.0"	13 ⁰	51'	17.7"
3.	79 ⁰	57'	1.0"	13 ⁰	51'	16.1"
4.	79 ⁰	57'	29.5"	13 ⁰	51'	23.4"
5.	79 ⁰	58'	13.8"	13 ⁰	51'	5.5"
6.	79 ⁰	58'	41.8"	13 ⁰	50'	23.7"
7.	79 ⁰	58'	48.3"	13 ⁰	49'	54.8"
8.	79 ⁰	58'	43.1"	13 ⁰	49'	27.9"
9.	79 ⁰	58'	90.1"	13 ⁰	49'	6.0"
10.	79 ⁰	57'	59.6"	13 ⁰	48'	0.9"
11.	79 ⁰	57'	34.3"	13 ⁰	47'	43.8"
12.	79 ⁰	57'	8.35"	13 ⁰	47'	37.3"
13.	79 ⁰	56'	44.7"	13 ⁰	47'	44.2"
14.	79 ⁰	56'	24.4"	13 ⁰	47'	58.1"
15.	79 ⁰	55'	24.2"	13 ⁰	49'	46.7"
16.	79 ⁰	55'	25.4"	13 ⁰	50'	37.1"
17.	79 ⁰	55'	39.2"	13 ⁰	50'	58.6"

नेलापट्ट पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेड	डिग्री	मिनट	सैकेड
1.	13 ⁰	51'	14.9"	79 ⁰	55'	50.1"
2.	13 ⁰	51'	21.6"	79 ⁰	56'	18.8"
3.	13 ⁰	51'	21.0"	79 ⁰	56'	41.7"
4.	13 ⁰	51'	29.5"	79 ⁰	56'	58.3"
5.	13 ⁰	51'	32.4"	79 ⁰	57'	10.7"
6.	13 ⁰	51'	31.7"	79 ⁰	57'	31.8"
7.	13 ⁰	51'	24.3"	79 ⁰	57'	51.5"
8.	13 ⁰	50'	42.9"	79 ⁰	58'	28.7"
9.	13 ⁰	50'	29.6"	79 ⁰	58'	36.4"

10.	13 ⁰	50'	6.6"	79 ⁰	58'	43.3"
11.	13 ⁰	49'	45.2"	79 ⁰	58'	42.6"
12.	13 ⁰	49'	33.2"	79 ⁰	58'	38.9"
13.	13 ⁰	49'	22.008"	79 ⁰	58'	32.9"
14.	13 ⁰	49'	6.3"	79 ⁰	58'	23.2"
15.	13 ⁰	47'	52.008"	79 ⁰	57'	37.5"
16.	13 ⁰	47'	43.476"	79 ⁰	57'	9.3"
17.	13 ⁰	47'	50.028"	79 ⁰	56'	36.4"
18.	13 ⁰	48'	8.676"	79 ⁰	56'	13.7"
19.	13 ⁰	48'	33.228"	79 ⁰	56'	1.6"
20.	13 ⁰	48'	47.88"	79 ⁰	55'	52.7"
21.	13 ⁰	49'	4.872"	79 ⁰	55'	43.2"
22.	13 ⁰	49'	24.924"	79 ⁰	55'	32.3"
23.	13 ⁰	50'	21.12"	79 ⁰	55'	14.2"

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, 8th June, 2017

S.O. 1868(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 250(E), dated the 15th January 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

Whereas, Nelapattu Bird Sanctuary is situated in Nelapattu Village of Doravarisatram Mandal in Nellore District in the state of Andhra Pradesh and has an area of about 4.58 square kilo meters and it is situated between Latitude 13°51' to 13°59' North and longitude 79° 57' to 79° 59' East;

And whereas, the Nelapattu Bird Sanctuary is a heaven for a wide variety of bird species for both breeding and roosting purpose and it is one of the largest Pelicanry in South-East Asia;

And whereas, many winter migratory birds visit this sanctuary and it is a breeding ground for some of the rare and endangered species like Grey Pelican (*Pelecanus philippensis*), Open Bill Stork (*Anastomus oscitans*), Little Cormorant (*Microcarbo niger*), Spoon bill (*Plataleinae*), White ibis (*Eudocimus albus*), Night heron (*Nycticorax nycticorax*) etc;

And whereas, it is necessary to conserve to protect the area up to two kilometers from the boundary of the Protected area of Nelapattu Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 29.21 square kilometres with an extent of upto two kilometres from the boundary of the Nelapattu Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh, as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies up to two kilometres from the boundary of the Nelapattu Bird Sanctuary and includes certain villages in Nellore District in the state of Andhra Pradesh.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended with this notification as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- 1) **Landuse.- (a)** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under relevant State Acts and other rules and regulations of Central or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given under para 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under relevant State Laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers, channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.-

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the and nelapattu bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km. from the boundary of the nelapattu bird Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under.-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), Notification 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.

2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Coastal Aquaculture.	No aqua culture either brackish water of fresh water aquaculture is permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Fishing by trawlers in untraditional manner as a large scale commercial activity.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.

39.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.
-----	---------------------------	-----------------------------

5. Monitoring Committee.—(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- (i) District Collector, Nellore - Chairman
- (ii) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years -Member
- (iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years - Member
- (iv) Member-Secretary/Member of the State Bio-diversity Board - Member
- (v) Regional Officer, State Pollution Control Board - Member.
- (vi) Representative of Revenue Divisional Officer, Gudur - Member.
- (vii) Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Sullurpet- Member.
- (viii) Deputy Conservator of Forests (Territorial), Nellore - Member Secretary.

(2) Terms of Reference:

- (a) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of Gazette Notification.
- (b) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (c) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (d) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (e) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (f) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma given in **Annexure IV**.
- (g) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the notification.

7. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal (NGT).

[F. No. 25/59/2014-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I**Boundary description of Eco-sensitive Zone of Nelapattu Bird Sanctuary**

North: - Eco- sensitive Zone boundary around 2 Km. of Nelapattu Bird Sanctuary boundary starts at 101 Km. stone of Railway line which is station 1 and proceeds towards North east direction and touches at station No. 2. Thence the line runs towards easterly direction and crosses the Northern point of Nelaballi RF and joins at station No. 3. Thence the line runs towards easterly direction and joins at station No. 4. Thence the line runs towards easterly direction and joins at western boundary of Pudur RF which is station No. 5.

East: - Thence the line proceeds towards South East direction and crosses the Pudur RF and joins at Western boundary of Kalluru RF which is Station No. 6. Then the line proceeds towards southern direction with in the Western boundary of Kalluru RF and joins at Station No. 7. Then the line runs towards southern direction along the Western boundary of Kalluru RF and joins at station No. 8. Then the line runs towards South west direction crosses. The Kalluru RF and joins at Blacktop Road which is station No. 9. From there the line proceeds towards southern direction and touches at station No.10


South: Thence Line precedes towards Western direction crosses the Railway line at 94.3 Km. and joins at station No. 11. Then the line proceeds towards western direction and joins at station No. 12 near NH5. Then the line runs towards North West direction crosses the NH 5 at 91.7 Km. and joins at Irrigation tank of Kuppareddy palem Village which is Station No.13.

West:- Thence the line proceeds towards North west direction and joins at station No. 14. From there the line proceeds towards North West direction and joins at station No. 15 in Ekollu RF. Then the line proceeds towards northerly direction and joins at station No. 16 in the Rosanur protected Forest. From there, the line proceeds towards North East direction and crosses the Railway line at 101 Km. stone and joins at station 1, which is closed station.

Annexure-II**List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone**

S.No.	Name of the Town/Village	GPS coordinates					
		Latitude			Longitude		
		Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1.	Nellorepalli	13 ⁰	50'	0.001''	79 ⁰	57'	0.004''
2.	Muchalagunta	13 ⁰	50'	0.001''	79 ⁰	57'	0.001''
3.	Mylangam	13 ⁰	49'	0.001''	79 ⁰	57'	0.01''
4.	Nelapattu	13 ⁰	49'	0.001''	79 ⁰	57'	0.008''
5.	Krishnapuram	13 ⁰	47'	0.001''	79 ⁰	57'	0.001''
6.	Kuppareddypalem	13 ⁰	47'	0.001''	79 ⁰	56'	0.001''
7.	Ekollu	13 ⁰	49'	0.001''	79 ⁰	56'	0.001''
8.	Doravarisatram	13 ⁰	48'	0.001''	79 ⁰	56'	0.001''

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes



Sanctuary Boundary Co-ordinates of Nelapattu Bird Sanctuary

S.No.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1.	79 ⁰	55'	39.2"	13 ⁰	50'	58.6"
2.	79 ⁰	56'	13.0"	13 ⁰	51'	17.7"
3.	79 ⁰	57'	1.0"	13 ⁰	51'	16.1"
4.	79 ⁰	57'	29.5"	13 ⁰	51'	23.4"
5.	79 ⁰	58'	13.8"	13 ⁰	51'	5.5"
6.	79 ⁰	58'	41.8"	13 ⁰	50'	23.7"
7.	79 ⁰	58'	48.3"	13 ⁰	49'	54.8"
8.	79 ⁰	58'	43.1"	13 ⁰	49'	27.9"
9.	79 ⁰	58'	90.1"	13 ⁰	49'	6.0"
10.	79 ⁰	57'	59.6"	13 ⁰	48'	0.9"
11.	79 ⁰	57'	34.3"	13 ⁰	47'	43.8"
12.	79 ⁰	57'	8.35"	13 ⁰	47'	37.3"
13.	79 ⁰	56'	44.7"	13 ⁰	47'	44.2"
14.	79 ⁰	56'	24.4"	13 ⁰	47'	58.1"
15.	79 ⁰	55'	24.2"	13 ⁰	49'	46.7"
16.	79 ⁰	55'	25.4"	13 ⁰	50'	37.1"
17.	79 ⁰	55'	39.2"	13 ⁰	50'	58.6"

Eco-Sensitive Zone Co-ordinates of Nelapattu Bird Sanctuary

S.No.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1.	13 ⁰	51'	14.9"	79 ⁰	55'	50.1"
2.	13 ⁰	51'	21.6"	79 ⁰	56'	18.8"
3.	13 ⁰	51'	21.0"	79 ⁰	56'	41.7"
4.	13 ⁰	51'	29.5"	79 ⁰	56'	58.3"
5.	13 ⁰	51'	32.4"	79 ⁰	57'	10.7"
6.	13 ⁰	51'	31.7"	79 ⁰	57'	31.8"
7.	13 ⁰	51'	24.3"	79 ⁰	57'	51.5"
8.	13 ⁰	50'	42.9"	79 ⁰	58'	28.7"
9.	13 ⁰	50'	29.6"	79 ⁰	58'	36.4"
10.	13 ⁰	50'	6.6"	79 ⁰	58'	43.3"
11.	13 ⁰	49'	45.2"	79 ⁰	58'	42.6"
12.	13 ⁰	49'	33.2"	79 ⁰	58'	38.9"
13.	13 ⁰	49'	22.008"	79 ⁰	58'	32.9"
14.	13 ⁰	49'	6.3"	79 ⁰	58'	23.2"
15.	13 ⁰	47'	52.008"	79 ⁰	57'	37.5"
16.	13 ⁰	47'	43.476"	79 ⁰	57'	9.3"
17.	13 ⁰	47'	50.028"	79 ⁰	56'	36.4"
18.	13 ⁰	48'	8.676"	79 ⁰	56'	13.7"
19.	13 ⁰	48'	33.228"	79 ⁰	56'	1.6"
20.	13 ⁰	48'	47.88"	79 ⁰	55'	52.7"
21.	13 ⁰	49'	4.872"	79 ⁰	55'	43.2"
22.	13 ⁰	49'	24.924"	79 ⁰	55'	32.3"
23.	13 ⁰	50'	21.12"	79 ⁰	55'	14.2"

Annexure-IV**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings :
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: